समाहरणालय, गढ़वा

(निर्वाचन शाखा)

प्रेस–विज्ञप्ति

विधानसभा आम चुनाव 2014 के अवसर पर गढ़वा जिला अर्न्तगत चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के वाहन मालिक को वाहन भाड़ा का भुगतान उनके बैंक खाता में राशि हस्तांतरण के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

अतः बैंक खाता के माध्यम से वाहन भाड़ा का भुगतान हेतु अधिग्रहित वाहनों के मालिक से निम्नांकित सूचनाओं की आवश्यकता है:–

आवेदन जिसमें वाहन सं0, वाहन मालिक का नाम, बैंक खाता सं0, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड, लॉगबुक सं0 आदि अंकित हो। इनके समर्थन में निम्नांकित कागजातों की छायाप्रति संलग्न रहेगा:–

1. वि0स0 चुनाव 2014 में वाहन उपयोग संबंधी विवरण (लॉगबुक की पावती रसीद की मूल प्रति)
2. वाहन सं0 एवं वाहन मालिक का नाम (साक्ष्य वाहन निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति)
3. वाहन मालिक के बैंक खाता का विवरण (साक्ष्य बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति)

अतः इस विज्ञापन के माध्यम से सभी वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि विधानसभा आम चुनाव 2014 के निमित्त अधिग्रहित अपने–अपने वाहनों के भाड़ा भुगतान की प्राप्ति हेतु उपरोक्त वांछित सूचनाएँ (कमांक 1 से 3 पर अंकित साक्ष्य सहित) निर्वाचन शाखा, गढ़वा के कार्यालय में कार्यालय अवधि में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित वाहनों के भाड़ा का भुगतान किया जा सके।

उपायुक्त,
गढ़वा।